

2021/17

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोजेन्ट

श्रीमती सवितादेवी पत्नि श्री गोकुलसिंह
निवासी विष्णु टॉकिज के पास केसरगंज
तहसील आबूरोड़ जिला सिरौही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 07 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
27.01.2021	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 28.10.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम जारी पीपीओ आदेश RJS-04746330 के अन्तर्गत मुझे देय पेंशन राशि को माह नवम्बर 2019 के बाद किस आधार पर बन्द किया गया एवं प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.10.2020 को उक्त पेंशन को चालू कराये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 28.10.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम जारी पीपीओ आदेश RJS-04746330 के अन्तर्गत मुझे देय पेंशन राशि को माह नवम्बर 2019 के बाद किस आधार पर बन्द किया गया एवं प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.10.2020 को उक्त पेंशन को चालू कराये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरौही

